# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– श्री विरेन्द्र सिंह यादव ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 7/2015

उनवान

1.बुद्दालाल पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी ग्राम बलवन्ता तहसील व जिला अजमेर

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

*बनाम*

1.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

***आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955***

–: आदेश :– दिनांक :– 14.3.18

प्रार्थना पत्र के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम मोतीपुरा तहसील नसीराबाद में आस्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 1057/1325 रकबा 0.30 व 1105/1 रकबा 0.51 है। प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। नामान्तरकरण संख्या 218/26.8.13 जरियें निर्णय व डिक्री उक्त आराजी विभाजन से प्रार्थी के हिसे में आयी है एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में ही है।

**वादग्रस्त** आराजी में आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नही है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी गाम मोतीपुरा के खसरा नम्बर 1057/1325 रकबा 0.30, 1105/1 रकबा 0.51 व मुख्य मार्ग के मध्य ग्राम चाट के सिवायचक खसरा नम्बर 539/1366, 539, 540, 541/1444 की आराजी स्थित है। उक्त सिवायचक आराजी एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम चाट व मोतीपुरा की सरहद पर स्थित है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेत पर आवागमन हेतु उक्त सिवायचक खसरा नम्बर 539/1366, 539, 540, 541/1444 की आराजी में से आता–जाता है। एवं उक्त आराजी का रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उक्त रास्तें के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता ग्राम मोतीपुरा व चाट के राजस्व रेकार्ड व मौके पर विधमान नही है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1057/1325 रकबा 0.30 व 1105/1 रकबा 0.51 में आवागमन हेतु ग्राम चाट के सिवायचक खसरा नम्बर 539/1366, 539, 540, 541/1444 आराजी की **पश्चिमी दिशा** से लगती हुयी आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता मुताबिक डी0 एल0 सी0 एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार भूमि की प्रतिफल की राशि जो भी देय हो दिलवाया जावे।

प्रार्थीया को आवागमन हेतु ग्राम चाट के सिवायचक खसरा नम्बर 539/1366, 539, 540, 541/1444 आराजी की **पश्चिमी दिशा** से लगती हुयी आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे। एवं तहसीलदार नसीराबाद द्वारा उक्त रास्ते का अमल दरामद राजस्व अभिलेख में किया जावे।

तहसीलदार नसीराबाद से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। बहय उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 1057/1325 रकबा 0.30 व 1105/1 रकबा 0.51 प्रार्थीया की खातेदारी में है। उक्त भूमि पर आने–जाने हेतु ग्राम चाट के खसरा नम्बर 539/1366, 539, 540, 541/1444 आराजी की पश्चिमी दिशा से लगती हुयी आराजी का उपयोग किया जाता है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर जाने हेतु अन्य कोई लघुतम मार्ग विधमान नही है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी पर आने–जाने हेतु सिवायचक आराजी का ही उपयोग करती है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अंकित की जाती है तो राज हित प्रभावित नही होता है।

उक्तानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम चाट के खसरा नम्बर 539/1366, 539, 540, 541/1444 की आराजी में से **पश्चिमी दिशा** से लगती हुयी भूमि में से 856 मीटर

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

लम्बा व 9.2 मीटर चौडा कुल 7875.20 मीटर आराजी सिवायचक रास्ता के रूप में दर्ज की जावे। भूमि की कीमत 305164/रूपये (अक्षरे तीन लाख पॉच हजार एक सौ चोसठ रूपये) राजकोष में जमा होने के पश्चात तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज दिनांक 14.3.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद